विविध बैंक प्र0सं0 06/2018 भारतीय स्टेट बैंक शाखा जवाहर नगर, श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर बनाम 1–श्री शंकर लाल सोनी पुत्र श्रीनागरमल सोनी निवासी मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर (ऋणी) 2–श्रीमति किरण सोनी पत्नि श्री शंकर लाल सोनी निवासी मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर (सहऋणी)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.02.2018

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस दिनांक 29.01.2018 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी 1–श्री शंकर लाल सोनी पुत्र श्री नागरमल सोनी निवासी मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर (ऋणी) 2–श्रीमति किरण सोनी पत्नि श्री शंकर लाल सोनी निवासी मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर (सहऋणी) को ऋण सुविधा के रूप में 15,00,000/–रूपये (अखरे पन्द्रह लाख मात्र) ऋण दिनांक 29.10.2014 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी ऋणी श्री शंकर लाल सोनी पुत्र श्री नागरमल सोनी ने अपनी रिहायशी सम्पति मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर 25' गुणा 23' कुल 575 वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नियमित रूप से नही करने के कारण अप्रार्थीगण का ऋण खाता दिनांक 01.02.2017 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थीगण 1–श्री शंकर लाल सोनी पुत्र श्री नागरमल सोनी (ऋणी) 2–श्रीमति किरण सोनी पत्नि श्री शंकर लाल सोनी (सहऋणी) की ओर दिनांक 23.05.2017 तक ऋण राशि 13,74,710/–रूपये एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के नोटिस दिनांक 23.05.2017 को रजि0 डाक से भिजवाये गये। नोटिस प्राप्ति के लगभग 2 माह बाद ऋणीयों द्वारा मांग पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया था जिसका जबाब प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को भिजवाये जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी शंकर लाल सोनी पुत्र श्रीनागरमल सोनी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखी गयी रिहायशी सम्पति मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर 25' गुणा 23' कुल 575 वर्गफुट का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी 1–श्री शंकर लाल सोनी पुत्र श्रीनागरमल सोनी निवासी मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर (ऋणी) 2–श्रीमति किरण सोनी पत्नि श्री शंकर लाल सोनी निवासी मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर (सहऋणी) को ऋण सुविधा के रूप में 15,00,000/–रूपये (अखरे पन्द्रह लाख मात्र) ऋण दिनांक 29.10.2014 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी ऋणी श्री शंकर लाल सोनी पुत्र श्री नागरमल सोनी ने अपनी रिहायशी सम्पति मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर 25' गुणा 23' कुल 575 वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 06.03.2017 को बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये। नोटिस प्राप्ति के लगभग 2 माह बाद अप्रार्थीगण ने मांग पत्र का जबाब/अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया जिसका प्रार्थी बैंक द्वारा उत्तर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाई है। इसलिए उक्त बन्धक रखी गई सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण 1–श्री शंकर लाल सोनी पुत्र श्री नागरमल सोनी निवासी मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर (ऋणी) 2–श्रीमति किरण सोनी पत्नि श्री शंकर लाल सोनी निवासी मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर (सहऋणी) के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से नोटिस दिनांक 23.05.2017 को भिजवाये गये। जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध रजि. एडी रसीद व पोस्ट ऑफिस की डाक वितरण रिपोर्ट से होती है और प्रार्थी बैंक प्रा0 पत्र के सलंग्न शपथ पत्र के अनुसार नोटिस प्राप्ति के लगभग 2 माह बाद अप्रार्थीगण द्वारा मांग पत्र का जबाब/अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया गया जिसका उत्तर प्रार्थी बैंक द्वारा दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री शंकर लाल सोनी पुत्र श्री नागरमल सोनी निवासी मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखी गयी रिहायशी सम्पति मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर 25' गुणा 23' कुल 575 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा जवाहरनगर, श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी श्री शंकर लाल सोनी पुत्र श्री नागरमल सोनी निवासी मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखी गयी रिहायशी सम्पति मकान न0 369 (पुराना 143) गली न0 01, इन्द्रा कोलोनी, नजदीक परनामी मन्दिर, श्रीगंगानगर 25′ गुणा 23′ कुल 575 वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर